न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 54 / 2024

अपीलांट

1.राजस्थान सरकार जरिए लैंड होल्डर तहसीलदार फलौदी

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. मनोहरलाल पुत्र भाखरराम
2. महीपाल पुत्र भाखरराम
3. मांगीलाल पुत्र भाखरराम
4. रामरखराम पुत्र भाखरराम
5. मोहनी पत्नि श्रवणराम
6. लाधुराम पुत्र सांवतराम
7. गीता पत्नि किशनाराम
8. सुखराम पुत्र रूगनाथराम
9. सोमारी पत्नि गिरधारीराम

सर्व जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2330 राजस्व ग्राम सांवरीज निर्णय दिनांक 14.10.2024

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— तहसीलदार फलौदी ।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ता 09 की ओर से — अधिवक्ता रेंवतसिंह पातावत।

निर्णय

दिनांकः— 25/2/2025

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नामान्तरकरण संख्या 2330 पर पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 तहसीलदार फलौदी द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 09 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 341 / 2018 अनवान डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि में पारित डिक्री आदेश 20.02.2024 के विरूद्व अपीलांट नैनी वगैरा द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित राजस्व अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 में जरिए न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी के राजस्व वाद संख्या 241 / 2018 अनवान डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि में पारित डिक्री आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट को जबाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई उपरान्त तनकीवार व विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करें। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय 24.09.2024 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी के राजस्व वाद संख्या 241 / 2018 अनवान डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि में पारित डिक्री आदेश

जिला कलक्टर
फलौदी

दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किए जाने बाबत नोट अंकित किया जाना था। लेकिय लिपिकीय भूलवश अपीलार्थी महीपाल पुत्र भाखरराम विश्नोई वगैरह के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज हो गया। नामान्तरकरण संख्या 2330 राजस्व ग्राम सांवरीज निर्णय दिनांक 14.10.2023 को नियमों के विपरित किया होने के कारण निरस्त योग्य होने व विधि विरूद्व होने से अपील आपके क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये तहसीलदार फलौदी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। जो तामील शुदा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 09 की ओर से अधिवक्ता रेंवतसिंह पातावत ने वकालातनाम पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी के राजस्व वाद संख्या 341/2018 अनवान डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि में पारित डिक्री आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किया जाने बाबत नोट अंकित किया जाना था लेकिन लिपिकीय भूलवश महीपाल पुत्र भाखराम जाति विश्नोई वगैरह के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज हो गया। राजस्व ग्राम सांवरीज की उक्त वादग्रस्त भूमि से संबधित नामान्तरकरण संख्या 2330 अपीलांट की ऑनलाईन आईडी पर प्रदर्शित हुआ। अपीलांट द्वारा माननीय भूल/तकनीकी समस्या के कारण नामान्तरकरण संख्या 2330 राजस्व ग्राम सांवरीज स्वीकृत हो गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 2330 राजस्व ग्राम सांवरीज त्रुटिपूर्ण होने के कारण व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 09 के बहस हेतु पाबंद किया गया बावजूद बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलौदी के वाद संख्या 341/2018 अनवान डूगरराम बनाम भाखरराम के प्रकरण में दिनांक 20.02.2024 को निर्णय पारित कर वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की गई है। इसके विरूद्व अपीलांट (वर्तमान अप्रार्थीगण) द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 31/2024 में दिनांक 24.09.2024 को निर्णय पारित कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलौदी को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलांट को जबाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत तनकीवार एवं विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्रय पारित करे। राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष अप्रार्थी महीपाल विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया इस पर उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा दिनांक 27.09.2024 को तहसीलदार फलौदी को निर्णय की नियमानुसार पालना किये जाने का निर्देश जीर किया इसकी पालना में तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी सांवरीज को आदेश की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में राजस्व अपील

जिला कलक्टर
फलौदी

प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के डिक्री व निर्णय दिनांक 20.09.2024 को अपास्त कर मामला प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त ही पालना के निर्देश जारी किये जा सकते थे। इसके न्यायालय सहाकय कलक्टर द्वारा स्वयं को ही स्पष्ट आदेश पारित न कर नियमानुसार पालना किये जाने के लिए अग्रेषित किया है। तहसीलदार द्वारा बिना किसी परीक्षण व विवेचन किये पटवारी को अग्रेषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का को सहायक कलक्टर न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2024 की पूर्व की स्थिति कायम करने के लिए नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही स्वयं अपने स्तर पर करने के लिए अधिकृत नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन नामान्तरकरण पर अंकित किया गया नोट ("उक्त नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय द्वारा 144 सीपीसी में निर्णीत करने के पश्चात स्वीकृत ही उचित है। अतः अस्वीकृत किया जाता है") उचित एवं विधि संगत है। उक्त नोट के अनुसार नामान्तरकरण निरस्त किया जाना चाहिए था। किन्तु भूलवश/ तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन स्वीकृत हो गया है। जो राजस्व रिकार्ड में बरकरार रखना विधि संगत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण खारिज किये जाने के निर्देश दिए जाते है। तहसीलदार राजस्व रिकार्ड के तद्अनुसार प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का द्वारा अधिकारी क्षेत्र से परे जाकर स्पष्ट आदेश नहीं होने के बावजूद नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, हल्का पटवारी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, कलोदी

जिला कलक्टर
कलोदी